राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 228/2016/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 ए.सी.ई इण्डिया सर्जिकल,
महालक्ष्मी मार्केट, जयपुर। ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उपराजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 238/अपील्स–I/आरवीएटी/जयपुर/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी सर्जिकल आइटम्स् की खरीद–बिक्री का कार्य करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 07.06.2011 को किया गया। जिसमें सशक्त अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद पर आईटीसी का गलत उपभोग किया है, इस पर सशक्त अधिकारी ने आलौच्य अवधि के लिये दिनांक 26.05.2012 को आदेश पारित कर राशि रूपये 5,22,464/– का आईटीसी रिवर्स करते शास्ति का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2012 द्वारा अपील को सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में दिनांक 27.03.2014 को आदेश पारित कर राशि रूपये 21,62,462/– के आईटीसी को रिवर्स कर दिया। तत्पश्चात् दिनांक 05.05.2014 को संशोधित आदेश पारित कर आईटीसी राशि रूपये 21,62,462/– की जगह 12,10,509/– का आईटीसी

लगातार.....2

रिवर्स करना निर्धारित कर उस पर ब्याज राशि रूपये 5,52,985/– का आरोपण किया। इस प्रकार कुल आईटीसी राशि रूपये 17,32,978/– का रिवर्स किया गया एवं उस पर ब्याज राशि रूपये 5,52,985/– का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिक़ारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.08.2015 द्वारा व्यवसायी की अपील स्वीकार करते हुए, प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स एम.एम.सर्जिकल कम्पनी, कोटा से की गई खरीद पर दर्शाये गये वैट भुगतान पर आईटीसी का गलत उपभोग किया गया। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद के समय चुकाये गये कर का विधिक रूप से आईटीसी चाहा गया है जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नहीं थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सद्भावी विश्वास के कारण कि उस पर कर दायित्व आकर्षित नहीं होता है, इसके अतिरिक्त न तो प्रपत्रों के आधार पर और न ही लेखा पुस्तकों के आधार पर कोई कर दायित्व था। अतः आईटीसी रिवर्स कर, कर राशि कम जमा होने के आधार पर ब्याज का आरोपण उचित नहीं है। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त माल की खरीद विक्रेताओं द्वारा वैट इन्वॉइसेज के तहत राजस्थान राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से है। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त विक्रेता व्यवहारियों ने, जिन व्यवहारियों से माल का क्रय किया गया, उन्होंने अपने बिक्री प्रपत्रों में उन संव्यवहारों को घोषित नहीं किया गया, के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दर्शाये गये आईटीसी के लाभ को अस्वीकार कर रिवर्स किया गया है। सम्पूर्ण रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा आईटीसी रिवर्स किये जाने के कोई आधार/प्रमाण एवं कारण उल्लेखित नहीं किये गये है।

लगातार.....3

बिना पूर्व जॉच एवं सत्यापन के अभाव के आईटीसी रिवर्स किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इस बाबत् अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.08.2015 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को जॉच एवं सत्यापन हेतु प्रतिप्रेषित किया है, इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है।

7. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

21.7.2017
(मदनलाल)
सदस्य